

कार्यालय आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान- उदयपुर

क्रमांक:-एफ 1(1)लेखा/निविदा/देव/2017/ 127

दिनांक:-2-1-18

सीमित बोली

देवस्थान विभाग द्वारा 1500 नग देवस्थान कलेण्डर वर्ष 2018 का मुद्रण करवाया जाना है। अतः निम्नानुसार कलेण्डर्स का मुद्रण कार्यालय में उपलब्ध नमूना अनुरूप मुद्रण कराना होगा, इस हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 30 (ख) एवं लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम-16 के अनुसरण में GST नियमों के तहत पंजीकृत फर्मों से स्वयं के लेटर पैड पर बंद लिफाफे में दिनांक 8-1-2018 को प्रातः 11 बजे तक दरें आमंत्रित की जाती है। प्राप्त बोलियों को उसी समय उपस्थित बोलीदाता यदि कोई हो, के समक्ष खोली जावेगी-

क्र.सं.	नाम सामग्री	विशिष्टियाँ	मात्रा	अनुमानित लागत
1.	देवस्थान कलेण्डर प्रिंटिंग मय पेपर आगे तथा पीछे दोनों तरफ कुल 12 माह के पृथक-पृथक	Size 18X23/ 1/4 M/C Printing with Photographs on 130GSM Art Paper, 12 Leaf Both Sides Binding Iron Strip with Photographs	1500 नग	45 हजार रु. मय समस्त कर

शर्तें:-

1. दरें समस्त करों सहित एफ.ओ.आर. कार्यालय प्रस्तुत करनी होगी।
2. प्रिंटिंग कार्य उच्च किस्म के ग्लोसा पेपर पर करनी होगी।
3. विभाग द्वारा दर्शाये अनुसार मंदिरों के फोटोग्राफ लगाने होंगे।
4. सामग्री आपूर्ति आदेश प्राप्त होने के तीन दिवस में करनी होगी।
5. सामग्री 100-100 के बण्डल में पैक करके उपलब्ध करानी होगी।
6. प्रूफ अनुमोदन कराने की उपरान्त ही मुद्रण करें।
7. कार्य का विस्तृत विवरण कार्यालय में देखा जा सकता है।
8. बीड का विवरण विभाग की वेबसाईट [WWW. devasthan.rajasthan.gov.in](http://WWW.devasthan.rajasthan.gov.in) व राजस्थान लोक उपापन पोर्टल [sppp.raj.nic.in](http://sppp.raj.nic.in) पर भी देखा जा सकता है।
9. विभागीय उपापन समिति न्यूनतम दर वाली बोली को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है तथा वह किसी भी बिड को या उसके किसी भाग को बिना कोई कारण बताये रद्द कर सकेगी।

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)

I.A.S.

आयुक्त  
देवस्थान विभाग  
राजस्थान उदयपुर  
दिनांक:-

क्रमांक:-एफ 4(2)लेखा/रोकड़/देव/2015/

प्रतिलिपि:-

1. शासन उपसचिव; देवस्थान विभाग, राजस्थान- जयपुर।
2. मैसर्स.....
3. श्री भूपेन्द्र परिहार कम्प्यूटर सेल कार्यालय हाजा को देकर लेख है कि इस सूचना को आज ही विभागीय वेबसाईट एवं लोक उपापन पोर्टल पर अपलोड कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
4. नोटिस बोर्ड कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर/ कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर/ कार्यालय हाजा/ कार्यालय कोषाधिकारी, उदयपुर/ कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर/ कार्यालय उपनिदेशक जनसंपर्क, उदयपुर।

(संजय सिंह)

वित्तीय सलाहकार  
देवस्थान विभाग  
राजस्थान उदयपुर